बलात्कार एवं अपराध क्यों? कारण एवं निवारण

डॉ. शोभा अग्रवाल 'चिलबिल'
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

अमर्यादित यौनाचरण के अनेकानेक कारण हो सकते हैं। मूल कारण है–मस्तिष्क का सहज न होना। जब बच्चे का जन्म होता है, उसका जीवन व मस्तिष्क सहज होता है। सहजता ही जीवन का मूलाधार है।

इस समस्या के अनेकानेक कारणों में निम्न कारण मुख्य हो सकते हैं–

- समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ढालने का प्रयास।
- बच्चों पर कठोर अनुशासन।
- घर में अति धार्मिक व अति आदर्शवादी वातावरण।
- टी.वी., इण्टरनेट, सिनेमा आदि।
- बच्चों की चिन्ताएं एवं कुंठाएं।
- बच्चों को बचपन पूरी तरह जी पाने का अवसर न मिलना।
- उपेक्षित बच्चे (Neglected Child)
- बेरोजगारी, शराबखोरी, नशाखोरी आदि।
- सड़कों व पार्कों आदि में युवा जोड़ों द्वारा अश्लील प्रदर्शन आदि।

इन कारणों के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, उन सबका या इन प्रस्तुत कारणों का विस्तृत विवेचन करने की संभवतः आवश्यकता नहीं है। यदि मकान की नींव सही पड़ जाए तो मकान का निर्माण अच्छा होता है और वह मकान आँधी–पानी में भी नहीं गिरता है।

माननीय सरकार को सविनय सुझाव

पूर्ण नशाबन्दी हो–राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का सपना था– 'स्वतंत्रता के बाद पूर्ण नशाबन्दी' लेकिन आज ..... एक ओर आबकारी विभाग शराब की दुकानों के लाइसेंस बाँट रहा है, दूसरी ओर नशाबन्दी विभाग शराब रोकने के लिए जगह–जगह पोस्टर लगा रहा है।

एक ओर सरकार तम्बाकू उत्पादनों के लिए लाइसेंस जारी कर रही है, दूसरी ओर तम्बाकू–उत्पादों के पैकेटों (सिगरेट, गुटखा आदि) पर वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है– 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।'

यह कैसा गहरा मजाक है। सरकार का तर्क होता है कि शराब व तम्बाकू से ही सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। यह ठीक है कि सरकार को शासन–व्यवस्थाओं के लिए धन चाहिए, किन्तु शराब व तम्बाकू के कारण इन मादक पदार्थों का सेवन करने वालों का स्वास्थ्य खराब होता है।

तम्बाकू व शराब के कारण बीमार हुए लोगों की स्वास्थ्य–व्यवस्था में सरकार का बहुत धन खर्च होता है। इसी के साथ शराब के कारण घरों में कलह–क्लेश होता है। लोगों के चारित्रिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण शराब भी है।

अतः एक कल्याणकारी देश को शराब, तम्बाकू व अन्य नशीले पदार्थों की फैक्ट्रियाँ ही बन्द कर देनी चाहिएं। औषधीय दृष्टि से आयातित पदार्थों को छोड़कर अन्य नशीले पदार्थों के आयात पर भी पाबन्दी लगा देनी चाहिए। जब नशीले पदार्थों का न तो देश में उत्पादन होगा, न ही यह पदार्थ आयात होंगे, तब उपलब्धता के अभाव में इन पदार्थों का सेवन कोई कर ही नहीं सकता।

उत्तेजक फिल्मों व विज्ञापनों पर रोक–उत्तेजक फिल्मों व विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था सम्भव हो कि इण्टरनेट पर भी लोग ब्लू–फिल्में न देख सकें तो बहुत अच्छा होगा।

इनके स्थान पर शान्ति व सद्भावना से सम्बन्धित फिल्में दिखाई जाएँ। नारी सम्मान को प्रतिष्ठित किया जाए। रोचक व मनोरंजक बाल–फिल्में हों। देशभक्ति से सम्बन्धित कहानियाँ, साहित्य व फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाए। पर्यावरण सुरक्षा, शान्ति, सन्तोष व सद्भावना से सम्बन्धित खबरें मीडिया प्रमुखता से दे। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर साहित्य, संगीत व कला की खबरें हों।

' शादी की कोई न्यूनतम आयु निर्धारित न होकर सन्तानोत्पत्ति की न्यूनतम आयु–सीमा निर्धारित हो–वर्तमान समय में हमारे देश में विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम अठारह वर्ष और लड़के की आयु इक्कीस वर्ष होनी आवश्यक है।

इस आयु सीमा को निर्धारित करने के पीछे कई तर्क दिए जा सकते हैं, किन्तु सबसे अहं प्रश्न है– क्या जल्दी विवाह करने से या युवा–युवतियों के इच्छित समय पर विवाह करने से यौन–अपराध रूक सकते हैं? या इन यौन–अपराधों में कमी आ सकती है?

इतना तो निश्चित है कि यदि लड़के–लड़कियों की शादी जल्दी या उनके इच्छित समय पर कर दी जाए तो निश्चित रूप से यौन–अपराधों में कमी आएगी। इस बात के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने से पूर्व इसके दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है –

1. कम उम्र में शादी होने से युवती के जल्दी गर्भवती होने की सम्भावना से स्वास्थ्य परेशानियाँ हो सकती हैं।
2. कम आयु में सन्तान होने से सन्तानोत्पत्ति के समय व उसके बाद सन्तान के पालन–पोषण सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं।
3. कम उम्र में शादी होने से बेरोजगारी कीअवस्था में लड़के–लड़की के लिए आजीविका सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हो सकता है। ऐसी अवस्था में नवदम्पत्ति व उसके आगे बढ़ने वाले परिवार के खर्च का दायित्व उनके माता–पिता को ही निर्वाह करना पड़ेगा।

इन सभी बातों में मूल समस्याएँ दो हैं,

पहली – हो सकता है लड़का–लड़की बेरोजगार हों, ऐसी अवस्था में क्या होगा?

दूसरी – कम उम्र में बच्चे होने पर स्वास्थ्य व खर्च सम्बन्धी परेशानियाँ।

समाधान यह है–कम उम्र में या युवक–युवती की इच्छित आयु में उनकी शादी तो हो जाए किन्तु आधुनिक चिकित्सीय साधनों का प्रयोग करके सन्तानोत्पत्ति को रोक दिया जाए। इस प्रकार घर वालों पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा और स्वास्थ्य सम्बंधी समस्यायें व आबादी बढ़ने की समस्यायें भी नहीं होंगी।

यदि लड़की व लड़का दोनों ही पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में यदि लड़के के माता–पिता की आय कम है, तो लड़की के माता–पिता भी पूर्ववत् लड़की की पढ़ाई का खर्च दे सकते हैं।

कम उम्र में शादी हो जाने पर समायोजन सम्बन्धी समस्यायें भी कम होती हैं। दोनों सहज रूप से एक दूसरे के स्वभाव के अनुसार ढल जाते हैं। यौन–समस्यायें होने की तो सम्भावना ही न्यूनतम हो जाती है।

दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड मिले–दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए, हमारे समाज में सबसे कठोर दण्ड आजीवन कारावास व फाँसी की सजा है।

क्या निठारी काँड के दोषियों व निर्भया (दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म काँड की पीड़िता) के साथ अमानवीय आचरण करने वालों के लिए फाँसी की सजा पर्याप्त है? नहीं ..... बिल्कुल नहीं। इन्हें ऐसा कठोर दण्ड मिलना चाहिए था कि ये आजीवन तड़पते ..... इन्हें सिसक–सिसककर जीने के लिए मजबूर किया जाता।

इन दोषियों को दण्ड देने का अर्थ यह नहीं है कि इनसे बदला लिया जाए बल्कि इनका दण्ड देखकर समाज में चेतना आवे। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके।

कानूनी निर्णय में कम समय लगे–ज्ञातव्य है कि संसद पर हुए हमले के दोषियों को फाँसी की सजा में कितना समय लगा। पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी के हत्यारों को सजा मिलने में कितना समय लगा, तब जन सामान्य की बात ही क्या है?

अतः कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि निर्णय जल्दी हो अर्थात् एक निश्चित समय–सीमा के भीतर हो।

सबसे प्रभावकारी उपाय है–यदि बच्चों को अपना बचपन पूरी तरह उल्लास के साथ जीने का अवसर मिल सके, उनकी शिक्षा–व्यवस्था ठीक हो सके तो शायद विश्व एक सुखद नीड़ बन जाए और हम सब ..... उसके आनन्दित मनुष्य।

किसी राष्ट्र की राजभाषा वही हो सकती है
जिसे उसके अधिकाधिक निवासी समझ सकें।

–आचार्य चतुरसेन शास्त्री